

**बिहार में पंजीकरण एवं लाइसेंसिंग प्राधिकरण (आर०एल०ए०) हमीरपुर की
अवधि 7/06 से 3/13 की की उपयोक्ता प्रभार निधियों का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण,
हिमाचल प्रदेश सरकार, परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या-TPT-F(1)-3/2000-e-
Governance, दिनांक 3.9.2005 के दृष्टिगत इस विभाग के श्री अजीत सिंह अनुभाग अधिकारी
व श्री नरेन्द्र कुमार आर्टिकल सहायक द्वारा दिनांक 11.10.2013 से 19.10.2013 के दौरान
हमीरपुर में किया गया जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में वर्णित है। निधि लेखाओं की
विस्तृत जाँच हेतु निम्नलिखित माहों का चयन किया गया।**

1 निधि लेखाओं की जाँच हेतु

ई-गवर्नेन्स सोसाईटी, पंजीकरण एवं लाइसेंसिंग प्राधिकरण (आर०एल०ए०) हमीरपुर की अवधि 7/06 से 3/13 की की उपयोक्ता प्रभार निधियों का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण, हिमाचल प्रदेश सरकार, परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या-TPT-F(1)-3/2000-e-Governance, दिनांक 3.9.2005 के दृष्टिगत इस विभाग के श्री अजीत सिंह अनुभाग अधिकारी व श्री नरेन्द्र कुमार आर्टिकल सहायक द्वारा दिनांक 11.10.2013 से 19.10.2013 के दौरान हमीरपुर में किया गया जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में वर्णित है। निधि लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु निम्नलिखित माहों का चयन किया गया।

वर्ष	प्रारंभिक तिथि	अंतिम तिथि
2006-07	—	—
2007-08	—	—
2008-09	01 / 2009	01 / 2009
2009-10	10 / 2009	04 / 2009
2010-11	11 / 2010	08 / 2010
2011-12	07 / 2011	11 / 2011
2012-13	01 / 2013	10 / 2012

इस अंकेक्षण प्रतिवेदन को संस्था के आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाए गए अभिलेख एवं सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग उक्त संस्था द्वारा प्रदान की गई किसी भी गलत सूचना अथवा सूचना जो प्रदान नहीं की गई है, की जिम्मेवारी लेने से इन्कार करता है।

2 vdf{k.k 'kYd%&

ई-गवर्नेन्स सोसाईटी, पंजीकरण एवं लाईसैंसिंग प्राधिकरण (आर0एल0ए0) हमीरपुर की अवधि 7/06 से 3/13 की उपयोक्ता प्रभार निधियों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹4300/- बनता है। अनभाग अधिकारी (ले0प0) द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 108 दिनांक 15.10.2013 जारी करके उक्त राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश, शिमला-9 के नाम भेजने हेतु उप मण्डलीय अधिकारी हमीरपुर से अनुरोध किया है।

3 foYkh; fLFkfr%&

ई-गवर्नेन्स सोसाईटी, पंजीकरण एवं लाईसैंसिंग प्राधिकरण (आर0एल0ए0) हमीरपुर द्वारा प्रस्तुत अंकेक्षणाधीन अवधि के दौरान (आर0एल0ए0 हमीरपुर) उपयोक्ता प्रभार की निधियों के रूप में प्राप्त राशि तथा उसमें व्यय की गई राशि/केन्द्रीय ईकाई हमीरपुर में जमा करवाई गई राशि से सम्बन्धित वित्तीय स्थिति पृष्ठ 5 पर दर्शाई गई है, जिसका विस्तृत विवरण ifjf'k"V "d" पर भी दिया गया है।

4 vof/k 01-07-06 l 31-12-07 dh jkdM ogh iLr|r u dju ckj%&

%d% अंकेक्षण के दौरान ई-गवर्नेन्स सोसाईटी, पंजीकरण एवं लाईसैंसिंग प्राधिकरण (आर0एल0ए0) हमीरपुर की अवधि 01.07.06 से 31.12.07 की रोकड़ वही/पास बुक को जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया तथा संस्था द्वारा वर्ष 2008-09 से पूर्व की वित्तीय स्थिति भी तैयार नहीं की गई जिसके परिणामस्वरूप उक्त अवधि में प्राप्तियों, किये गये व्यय व ई-गवर्नेन्स हमीरपुर को हस्तांतरित की गई राशियों की पुष्टि नहीं की जा सकी। यह एक अत्यन्त गम्भीर अनियमितता है। अतः उक्त अवधि के लिये रोकड़ वही व पास बुक प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा अविलम्ब वांछित अभिलेख ढूँढकर किये गये लेन देनों की पुष्टि आगामी अंकेक्षण पर करवाई जानी सुनिश्चित की जाये।

%[k% ई-गवर्नेन्स सोसाईटी, पंजीकरण एवं लाईसैंसिंग प्राधिकरण (आर0एल0ए0) हमीरपुर द्वारा दिनांक 01.04.08 को प्रारम्भिक षेड की ₹115670/- दर्शाई गई थी जोकि अवधि 01.1.08 से 31.3.08 की प्राप्तियों व व्ययों की अन्तर्षेड राशि थी, जिससे प्रतीत होता है कि उक्त प्रारम्भिक

षेड की ₹115670/- में अवधि 01.07.06 से 31.12.07 की प्राप्तिरें उसमें से किये गये व्यय कम करके षेड राषिं को सम्मिलित नहीं किया गया है व उक्त अवधि की राषिरें को सम्बन्धित पास बुक में भी जमा नहीं करवाया गया है। अतः यह भी स्पष्ट किया जाये कि उक्त अवधि 01.07.06 से 31.12.07 की प्राप्तिरें व उसमें से किये गये व्यय की राषिरें का रख रखाव किस-2 बैंक खाते में किया गया है तथा अब उक्त अवधि के दौरान प्राप्त की राषिरें में से किए गए व्यय/केन्द्रीय ईकाई को हस्तांतरित की गई राषिरें को कम करके षेड राषि को 01.04.2008 को दर्शाए गए प्रारम्भिक षेड में सम्मिलित किया जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

5 dUnh; bdkb| gehjij l iklr LVkj@LVkd dk y[kkdu u dju ckj&

ई-गवर्नेन्स सोसाईटी, पंजीकरण एवं लाईसैंसिंग प्राधिकरण (आर0एल0ए0) हमीरपुर के कार्यालय में केन्द्रीय ईकाई हमीरपुर से प्राप्त तथा स्वयं खरीदी गई लेखन सामग्री व अन्य उपकरणों/वस्तुओं के रख-रखाव के लिए स्टोर/स्टॉक रजिस्टर नहीं लगाये गये हैं जो एक गम्भीर अनियमितता है। अतः अनुपालना हेतु राय दी जाती है कि लेखन सामग्री व अन्य उपकरणों/वस्तुओं के रख-रखाव के लिए अलग-2 रजिस्टर लगाये जाए तथा प्रत्येक मद का लेखा मदवार अलग-2 पृष्ठों पर करके उनके उपयोग का विवरण भी तिथिवार तैयार किया जाए ताकि खरीदी गई सामग्री की औचित्यतता स्पष्ट की जा सके। इस सन्दर्भ में अनुपालना की जाँच आगामी अंकेक्षण पर करवाई जाए।

6 dUnh; bdkb| gehjij e %vkj0,y0,0% gehjij l iklr ₹100000@& dh if"V dju ckj&

(क) अंकेक्षण के दौरान ई-गवर्नेन्स सोसाईटी (केन्द्रीय ईकाई) हमीरपुर में विभिन्न (आर0एल0ए0) से प्राप्त राषिरें के विवरण का अवलोकन करने से ज्ञात हुआ कि माह 12/2009 में (आर0एल0ए0) हमीरपुर से केन्द्रीय ईकाई हमीरपुर में ₹100000/- प्राप्ति ' दर्शायी गई है जबकि (आर0एल0ए0) हमीरपुर के अभिलेख के अनुसार उक्त राषि नहीं भेजी गई थी। अतः ई-गवर्नेन्स सोसाईटी, (केन्द्रीय ईकाई) हमीरपुर में प्राप्त उक्त राषि का मिलान करके इसकी पुष्टि अंकेक्षण में करवाई जाए।

%[k% इसी प्रकार माह 2/2011 में (आर0एल0ए0) कार्यालय से ₹101619/- चैक द्वारा (केन्द्रीय ईकाई) हमीरपुर को भेजी गई जबकि ई-गवर्नेन्स (केन्द्रीय ईकाई) हमीरपुर खातों के

अनुसार ₹114823/- प्राप्त की गई। अतः अन्तर की ₹13204/-की का मिलान करके इसकी पुष्टि अंकेक्षण में करवायी जानी सुनिश्चित की जाए।

7 **LVkj@LVkd dk iR;{k lR;kiu u djoku ckj%&**

ई-गवर्नेन्स सोसाईटी, पंजीकरण एवं लाईसैंसिंग प्राधिकरण (आर0एल0ए0) हमीरपुर द्वारा खरीदे गये स्टोर/स्टॉक अथवा केन्द्रीय ईकाई हमीरपुर से प्राप्त सामग्री/उपकरणों का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं करवाया है, जोकि नियमानुसार उचित नहीं था। अतः स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न करवाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में प्रत्येक वर्ष स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8 **y?k vkifYk foojf.kdk%&** इसे अलग से जारी नहीं किया है।

9 **fu"d"k%&** निधि लेखाओं के रख-रखाव में अत्याधिक सुधार एवं कड़े निरीक्षण की आवश्यकता है।

उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, षिमला-171009.

पृष्ठांकन संख्या: फिन(एल0ए0)एच(2)(सी)(15)(14)(xii) 8/2013 खण्ड-1 दिनांक, षिमला-171009
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. उप-मण्डल अधिकारी हमीरपुर जिला हमीरपुर हिमाचल प्रदेश को इस आषय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करवाकर सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।
2. जिलाधीष हमीरपुर, जिला हमीरपुर हि0प्र0।
3. निदेशक, (परिवहन विभाग) हि0प्र0 षिमला-03
4. अवर सचिव (परिवहन) हि0प्र0 षिमला-02
5. श्री अजीत सिंह अनुभाग अधिकारी द्वारा.....

उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, षिमला-171009.